न्यायालय अपीलीय अधिकारी एवं जिला कलक्टर अलवर(राज.)

अपील संख्या 12/72/2022

कम्प्यूटर आई.डी. क्रमांकः 2022/280

अपीलार्थी	**बनाम**	**प्रत्यर्थी**
श्री दुलीचन्द सैनी पुत्र कन्हैयालाल सैनी, निवासी–14, संजय नगर, रेलवे स्टेशन के सामने, बोहरा का बाग, अलवर (राज.)		राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय) अलवर

प्रवेश तिथि :: 17.06.2022

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय

दिनांकः 18.07.2022

1. उभयपक्ष अनुपस्थित, प्रत्यर्थी पक्ष की ओर से जवाब नोटिस प्राप्त हुआ जिसे अभिलेख पर लिया गया।
2. हमने पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का विशुद्ध परिशीलन किया।
3. अपीलार्थी ने आवेदन–पत्र दिनांकः 09.05.2022 के माध्यम से प्रत्यर्थी को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के तहत प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर अतिरिक्त जिलाधीश/उप जिलाधीश, कृषि रूपान्तरण, अलवर में सन् 1982–83 में भूखण्ड धारियों द्वारा भूखण्ड का पट्टा अभिलेख प्राप्त करने हेतु लगाई गई पत्रावलियों के संबंध में 04 बिन्दुओं पर सूचना/प्रमाणित प्रति चाही गई थी।
4. प्रत्यर्थी की ओर से किसी प्रकार की सूचना नहीं मिलने के कारण अपीलार्थी द्वारा प्रा0पत्र दिनांकः 15.06.2022 के माध्यम से इस न्यायालय को प्रथम अपील प्रस्तुत की गई।
5. उक्त प्रथम अपील के अनुक्रम में प्रत्यर्थी को नोटिस जारी कर जवाब चाहा गया।
6. प्रत्यर्थी की ओर से पत्र सं. 1749 दिनांकः 13.07.22 के माध्यम से इस न्यायालय को जवाब प्रस्तुत करते हुए प्रति अपीलार्थी को भी पृष्ठाकित की गई है।
7. प्राप्त जवाब मय संलग्नक दस्तावेजात् व अपील में उठाये गये तथ्यों का परीक्षण किया गया। प्रत्यर्थी द्वारा अपीलार्थी के प्रथम सूचना आवेदन दिनांकः 09.05.2022 के परिप्रेक्ष्य में पत्र सं. 1349 दिनांकः 06.06.22 एवं पत्र सं. 1704 दिनांकः 04.07.22 के माध्यम से संबंधित अनुभाग से सूचना प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखानुसार बिन्दुवार विनिश्चय से अवगत कराया जा चुका है, सूचना प्राप्ति के समर्थन में तामिल की फोटोप्रति भी संलग्न कर न्यायालय में पेश की गई है।
8. अपीलार्थी द्वारा प्रथम सूचना आवेदन दिनांकः 09.05.2022 के बिन्दु सं. 01 व 02 अंतर्गत लोक सूचना अधिकारी से प्रश्न कर सूचना उपलब्ध कराने एवं विश्लेषणोपरांत, रिकॉर्ड छंटनी कर सूचना उपलब्ध कराने की वांछा लोक प्राधिकारियों से की गई है जो **राज्य सरकार के परिपत्र दिनांकः 02.02.2009 के आलोक में सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत "सृजन" की श्रेणी में होने के कारण देय नहीं है**, शेष बिन्दु सं. 03 व 04 में वांछित सूचना अपीलार्थी के स्वयं से संबंधित ना होकर अन्य पक्षकार (प्रभातीलाल पुत्र नारायणलाल शर्मा, पो. बूटोली) से संबंधित होने व साथ ही प्रश्नगत पत्रावली जमा रिकॉर्ड नहीं होने के कारण **सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 7(9)** व **धारा 11** के आलोक में देय नहीं है।
9. अतः उक्त आलोक में प्रत्यर्थी द्वारा किया गया विनिश्चय उचित एवं पर्याप्त है। अपील निर्बल है।
10. अतः **अपील अस्वीकार की जाकर खारिज** की जाती है।
11. आदेश की प्रति उभय पक्ष को प्रेषित हो।
12. आज दिनांकः 18.07.2022 को निर्णय लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया तथा हस्ताक्षरित एवं मुद्रांकित किया गया।

(डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी)
अपीलीय अधिकारी एवं
जिला कलक्टर, अलवर (राज.)